# उर्दू प्रेस की समीक्षा और विश्लेषण

वर्ष 6 | अंक 18 | 16-30 सितंबर 2023 | ₹ 20/-

# श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद परिसर के सर्वेक्षण की मांग खारिज

- कर्नाटक के ईदगाह मैदान में गणेश चतुर्थी मनाने पर विवाद
- पाकिस्तान में ईद मिलाद-उन-नबी के जुलूस पर आतंकी हमला
- ईरान में महिलाओं पर सख्ती का कानून पारित
- संघ द्वारा गैर-हिंदू संप्रदायों से संपर्क बढ़ाने का अभियान

परामर्शदाता
**डॉ. कुलदीप रतनू**

सम्पादक
**मनमोहन शर्मा***

सम्पादकीय सहयोग
**शिव कुमार सिंह**

**कार्यालय**
डी–51, प्रथम तल,
हौज खास, नई दिल्ली–110016
दूरभाषः 011–26524018

**E-mail:**
info@ipf.org.in
indiapolicy@gmail.com

**Website:**
www.ipf.org.in

**मुद्रक–प्रकाशकः** मनमोहन शर्मा द्वारा भारत नीति प्रतिष्ठान के लिए डी–51, प्रथम तल, हौज खास, नई दिल्ली–110016 से प्रकाशित तथा साई प्रिंटओ पैक प्रा.लि., ए–102/4, ओखला इंडस्ट्रीयल एरिया, फेस–2, नई दिल्ली–110020 से मुद्रित

*अनुवाद के लिए पूरी तरह जिम्मेदार

# अनुक्रमणिका

**सारांश** 03

**राष्ट्रीय**

श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद परिसर के सर्वेक्षण की मांग खारिज 04
मुस्लिम छात्र की पिटाई का मामला सर्वोच्च न्यायालय में 06
मुस्लिम महिलाओं को पैतृक संपत्ति में हिस्सा दिलवाने के लिए विशेष अभियान 07
कर्नाटक के ईदगाह मैदान में गणेश चतुर्थी मनाने पर विवाद 08
असम के मुख्यमंत्री के खिलाफ पुलिस में शिकायत 10
संघ द्वारा गैर-हिंदू संप्रदायों से संपर्क बढ़ाने का अभियान 11

**विश्व**

सीरिया के राष्ट्रपति का चीन दौरा 14
पाकिस्तान में ईद मिलाद-उन-नबी के जुलूस पर आतंकी हमला 15
अब इजरायली नागरिक बिना वीजा के अमेरिका जा सकेंगे 16
अफगानिस्तान में धर्मांतरण के आरोप में 18 व्यक्ति गिरफ्तार 17
पाकिस्तान में मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता पर मचा बवाल 18
पाकिस्तान में जनवरी में होंगे आम चुनाव 19
स्विट्जरलैंड में बुर्का पर प्रतिबंध 19

**पश्चिम एशिया**

सऊदी अरब और इजरायल के बीच राजनयिक संबंध स्थापित होने की संभावना 20
ईरान में महिलाओं पर सख्ती का कानून पारित 22
कुवैत में सह-शिक्षा पर प्रतिबंध 23
अल-शबाब के आतंकियों द्वारा इथियोपिया के सैकड़ों सैनिकों की हत्या 24
ईरान में आईएसआईएस के 28 आतंकी गिरफ्तार 25
तुर्किये के राष्ट्रपति की इजरायल के प्रधानमंत्री से मुलाकात 26

# सारांश

मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि की मुक्ति का मामला फिर से खटाई में पड़ गया है। श्रीकृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट द्वारा इस स्थल का वैज्ञानिक सर्वेक्षण कराने के लिए जो याचिका सर्वोच्च न्यायालय में दायर की गई थी उसे अदालत ने खारिज कर दिया है। इससे पहले इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने भी सर्वेक्षण की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया था। हालांकि, यदि ईमानदारी से देखा जाए तो यह मुद्दा विवादित नहीं है। इस बात के ऐतिहासिक दस्तावेजी प्रमाण उपलब्ध हैं कि ओरछा के राजा वीर सिंह जूदेव ने श्रीकृष्ण जन्मभूमि पर स्थित जिस मंदिर का निर्माण कराया था उसे साल 1670 में मुगल बादशाह औरंगजेब के निर्देश पर ध्वस्त करके वहां पर शाही मस्जिद और ईदगाह का निर्माण कराया गया था।

इस स्थल के उत्खनन में जो सामग्री बरामद हुई थी, उससे भी इस बात की पुष्टि होती है कि इसी स्थान पर भगवान श्रीकृष्ण का जन्म हुआ था। यह अलग बात है कि इस पवित्र स्थान पर बने मंदिर को विदेशी आक्रांता निरंतर ध्वस्त करते रहे और उसका पुनर्निर्माण भी होता रहा। महमूद गजनवी हो या मोहम्मद गौरी, अहमद शाह अब्दाली हो या नादिर शाह, इन सभी विदेशी आक्रांताओं द्वारा इस पवित्र मंदिर को ध्वस्त किए जाने के बारे में दस्तावेजी प्रमाण मौजूद हैं।

बड़ी अजीब बात है कि मुसलमान इस बात का निरंतर प्रचार करते आ रहे हैं कि इस्लाम शांति का मजहब है। मगर इसके अनुयायियों का रवैया ठीक इसके विपरीत है। हाल ही में पाकिस्तान के बलूचिस्तान में ईद मिलाद-उन-नबी (पैगम्बर मोहम्मद का जन्मदिन) के उपलक्ष्य में निकाले गए जुलूस में एक आत्मघाती हमला हुआ, जिसमें 60 से अधिक लोगों के मारे जाने की संभावना जताई जा रही है। इससे पहले भी इस्लामी आतंकी मस्जिदों और दरगाहों को निरंतर अपने हमलों का निशाना बनाते रहे हैं और अपने मजहब के अनुयायियों के खून से होली खेलते रहे हैं। कहा जाता है कि इस जुलूस पर हमला करने वालों के तार तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान और आईएसआईएस के खुरासान चैप्टर से जुड़े हुए हैं। हाल ही में पाकिस्तान में अनेक कुख्यात आतंकियों की हत्याएं भी हुई हैं। कहा जाता है कि इन हत्याओं के पीछे का कारण विभिन्न आतंकी गिरोहों के बीच की आपसी प्रतिस्पर्द्धा है।

चीन बड़ी तेजी से इस्लामी जगत में अपना प्रभाव बढ़ाने में जुटा हुआ है। हाल ही में सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल-असद ने चीन का दौरा किया था। इसके बाद चीन और सीरिया के बीच कई समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं। उल्लेखनीय है कि सीरिया पिछले कई दशकों से गृहयुद्ध का शिकार है। सीरिया के शासक शिया हैं और उनके तार ईरान से जुड़े हुए हैं। जबकि सुन्नी जिसमें कुर्द कबाइली प्रमुख हैं, शियाओं का विरोध कर रहे हैं। कहा जाता है कि इस गृहयुद्ध में कई लाख लोग मारे जा चुके हैं और 80 लाख के लगभग लोग बेघर हुए हैं। अरब जगत में चीनी प्रभाव का तेजी से हो रहा विस्तार अमेरिका के लिए भारी खतरा है। इससे पहले चीनी नेताओं के हस्तक्षेप से दो प्रमुख इस्लामी देशों ईरान और सऊदी अरब के बीच मित्रता की शुरुआत हुई थी। हालांकि, इन दोनों देशों के बीच एक दशक से अधिक पुरानी शत्रुता थी। इस्लामी जगत में चीन के बढ़ते हुए प्रभाव के कारण अमेरिका ने अपनी नीति में परिवर्तन करना शुरू किया है। उसका यह प्रयास दिन-प्रतिदिन जोर पकड़ रहा है कि सऊदी अरब से पुनः मैत्री स्थापित करके चीन के मंसूबों को धूल में मिला दिया जाए।

ईरान हो या अफगानिस्तान दोनों देश शरिया कानूनों को सख्ती से लागू कर रहे हैं। उन्हें इस बात की जरा भी चिंता नहीं है कि विश्व भर में उसकी क्या प्रतिक्रिया होती है। इन दोनों देशों के नेताओं का दावा है कि मुस्लिम देश होने के कारण उनके लिए शरिया को लागू करना अनिवार्य है और उन्हें इस बात की कोई चिंता नहीं है कि यह बात किसी देश को पसंद आती है या नहीं। पूरी दुनिया के विरोध के बावजूद ईरान ने महिलाओं के लिए हिजाब को अनिवार्य करने के संबंध में एक कानून पारित कर दिया है, जिसमें हिजाब या गैर शरई लिबास पहनने पर दस साल की कैद की व्यवस्था की गई है। अफगानिस्तान पहले ही महिलाओं के लिए शिक्षा, नौकरी और सार्वजनिक स्थानों पर जाने पर प्रतिबंध लगा चुका है।

# श्रीकृष्ण जन्मभूमि–शाही ईदगाह मस्जिद परिसर के सर्वेक्षण की मांग खारिज

**तासीर** (23 सितंबर) के अनुसार श्रीकृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट को सर्वोच्च न्यायालय में उस वक्त जबर्दस्त झटका लगा जब मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि–शाही ईदगाह मस्जिद के सर्वेक्षण की मांग वाली याचिका को अदालत ने खारिज कर दिया। इससे पहले जुलाई महीने में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने भी इससे संबंधित याचिका को खारिज कर दिया था। ट्रस्ट ने अपनी याचिका में 1968 में हुए समझौते को रद्द करने का आग्रह करते हुए यह कहा था कि यह समझौता सिर्फ दिखावा और धोखाधड़ी है। इस भूमि को सरकारी तौर पर ईदगाह के नाम से पंजीकृत नहीं किया जा सकता। क्योंकि इसका टैक्स कटरा केशवदेव मथुरा के नाम से जमा किया जा रहा है। गौरतलब है कि श्रीकृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट ने यह दावा किया है कि 1670 में मुगल बादशाह औरंगजेब ने एक फरमान जारी करके मथुरा स्थित भगवान केशवदेव मंदिर को तुड़वा दिया था और उसकी जगह पर ईदगाह मस्जिद का निर्माण करवाया गया था।

**औरंगाबाद टाइम्स** (23 सितंबर) के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की खंडपीठ ने ट्रस्ट की याचिका को यह कहकर खारिज कर दिया कि इस मामले पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय में याचिका विचाराधीन है, जिसमें सर्वेक्षण के लिए कमिश्नरों की नियुक्ति की मांग की गई है। सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने कहा है कि यह दलील नहीं दी जा सकती कि निचली अदालतों के पास आदेश जारी करने का अधिकार नहीं है। पीठ ने कहा कि उच्च न्यायालय इस केस की मेरिट आदि पहलुओं पर विचार कर रही है, इसलिए याचिकाकर्ताओं को वहां जाना चाहिए। जस्टिस कौल ने याचिकाकर्ता के वकील गौरव भाटिया से पूछा कि आप सिंगल बेंच के अंतरिम आदेश के खिलाफ यहां क्यों आए हैं? इस पर

भाटिया ने कहा कि जब यह मुकदमा उच्च न्यायालय में स्थानांतरित किया गया था तो निचली अदालत को इस संबंध में आदेश नहीं देना चाहिए था। इस पर बेंच ने वकील से कहा कि निचली अदालत ने अपने अधिकार क्षेत्र के तहत यह आदेश जारी किया है।

गौरतलब है कि इस साल के जुलाई महीने में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने श्रीकृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट की ओर से दायर याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें मथुरा की सिविल अदालत से याचिका को निपटाने से पहले श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह परिसर के वैज्ञानिक सर्वेक्षण पर फैसला लेने का अनुरोध किया गया था। इस पर मस्जिद की प्रबंधक कमेटी और उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने आपत्ति की थी और कहा था कि केंद्र सरकार द्वारा पारित पूजा स्थल अधिनियम 1991 को समक्ष रखते हुए इस मामले पर अदालत विचार नहीं कर सकती।

**सियासत** (24 सितंबर) के अनुसार जमीयत उलेमा के अध्यक्ष अरशद मदनी ने सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा है कि कुछ तत्वों द्वारा विभिन्न मस्जिदों और दरगाहों पर कब्जा करने का जो प्रयास किया जा रहा है उस पर इस फैसले से विराम लगेगा।

**पृष्ठभूमि :** श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद के विवाद की शुरुआत लगभग 350 साल पहले तब हुई थी जब साल 1670 में मुगल बादशाह औरंगजेब ने मथुरा की श्रीकृष्ण जन्मभूमि पर बने केशवदेव मंदिर को तोड़ने का आदेश दिया था। इसके बाद औरंगजेब के आदेश पर मथुरा के फौजदार ने वहां पर ईदगाह और मस्जिद का निर्माण कराया। औरंगजेब के आदेश पर मंदिर तोड़े जाने की पुष्टि इटली के यात्री निकोलाओ मानुची के लेखों से भी होती है। उसने इस बात की पुष्टि की है कि रमजान के महीने में मुगल सम्राट औरंगजेब के आदेश पर श्रीकृष्ण जन्मभूमि पर बने मंदिर को ध्वस्त किया गया था। हिंदू पुराणों के अनुसार कृष्ण जन्मभूमि पर पहले मंदिर का निर्माण भगवान कृष्ण के प्रपौत्र वज्रनाभ ने करवाया था। इसके बाद इस मंदिर को लगातार विधर्मी आक्रांताओं द्वारा तोड़ा गया और इसका पुनर्निर्माण होता रहा। औरंगजेब ने जिस मंदिर को ध्वस्त करने का फरमान जारी किया था, उसका निर्माण ओरछा के राजा वीर सिंह जूदेव ने मुगल सम्राट जहांगीर के शासनकाल में करवाया था। तब इसके निर्माण पर 52 लाख रुपये का खर्च हुआ था।

मानुची के अनुसार यह मंदिर सात मंजिला था और इस मंदिर के ऊपर जलता दीपक आगरा के शाही महल से साफ नजर आता था। इससे चिढ़कर औरंगजेब ने इस मंदिर को ध्वस्त करने का आदेश दिया था और मंदिर की मूर्तियों को तोड़कर उसके दो भाग किए गए थे। औरंगेजब के शाही फरमान के अनुसार मूर्तियों के एक भाग को आगरा की जामा मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे गाड़ दिया गया था, ताकि मुस्लिम नमाजी इन मूर्तियों को रौंदते हुए मस्जिद में नमाज अदा करने के लिए जाएं। जबकि दूसरे भाग को मक्का भिजवा दिया गया था और उसे मस्जिद-ए-नबवी की सीढ़ियों में गाड़ने का अनुरोध वहां के शासकों से किया गया था। कई हिंदू ट्रस्ट अदालत से इस बात की मांग करते आ रहे हैं कि आगरा की जामा मस्जिद की सीढ़ियों को तोड़कर वहां से श्रीकृष्ण जन्मभूमि मंदिर की तोड़ी गई मूर्तियों को निकाला जाए, ताकि उनका जीर्णोद्धार किया जाए सके। मगर अदालत ने अभी तक इस मांग को स्वीकार नहीं किया है।

इस संदर्भ में यह भी उल्लेखनीय है कि इस क्षेत्र में 200 सालों तक हिंदुओं का प्रवेश वर्जित रहा है। नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली ने इस क्षेत्र में खून की होली खेली और सैकड़ों मंदिरों को ध्वस्त कर दिया। 1770 में इस क्षेत्र को मराठों ने जीता और केशवदेव मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। बाद में यह मंदिर जर्जर होकर ध्वस्त हो गया। 19वीं शताब्दी में अंग्रेजों ने इस

मंदिर की भूमि (जो तब कटरा केशवदेव कहलाती थी) को नीलाम कर दिया, जिसे काशी के एक साहूकार राजा राय कृष्ण दास के पूर्वज राजा पटनीमल ने खरीद लिया था। वे यहां मंदिर बनवाना चाहते थे। लेकिन आर्थिक संसाधनों के अभाव के चलते यह संभव नहीं हो सका। साल 1944 में राय कृष्ण दास ने इस भूमि को पंडित मदन मोहन मालवीय की प्रेरणा से विख्यात उद्योगपति जुगल किशोर बिड़ला को सौंप दिया। 1953 में इस भूमि पर मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हुआ और 1958 में मंदिर का निर्माण कार्य पूरा हुआ। इस मंदिर का निर्माण करने वाली संस्था श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान ने 1968 में ईदगाह की इंतजामिया कमेटी के साथ एक समझौता किया, जिसमें यह तय किया गया कि इस भूमि पर मंदिर और मस्जिद दोनों रहेंगे।

## मुस्लिम छात्र की पिटाई का मामला सर्वोच्च न्यायालय में

**इंकलाब** (26 सितंबर) के अनुसार महात्मा गांधी के प्रपौत्र तुषार गांधी ने उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के एक पब्लिक स्कूल में एक मुस्लिम छात्र की पिटाई के मामले में जो याचिका सर्वोच्च न्यायालय में दायर की थी, उसकी सुनवाई करते हुए जस्टिस अभय वोक और जस्टिस पंकज मित्तल की खंडपीठ ने कहा है कि अगर यह घटना सही है तो इस पर सरकार की अंतरात्मा को झकझोरा जाना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा इस मामले की जांच प्रक्रिया पर भी असंतोष व्यक्त किया है। पीठ ने कहा कि बच्चे के पिता ने अपनी प्राथमिक शिकायत में यह आरोप लगाया था कि अध्यापिका तृप्ता त्यागी एक विशेष धर्म के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी कर रही थी। पुलिस रिपोर्ट में भी इस बात का उल्लेख है, लेकिन एफआईआर में इसका कोई जिक्र नहीं है।

उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल के.एम. नटराज ने कहा कि राज्य सरकार किसी को भी बचाने का प्रयास नहीं कर रही है। लेकिन इस मामले को सांप्रदायिक रंग देकर बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया जा रहा है। अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी इस बात की जांच करे कि क्या भारतीय दंड संहिता की धारा 153ए इस मामले में लागू होती है या नहीं। अदालत ने इस बात की भी आलोचना की है कि पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने में देरी की है।

**मुंबई उर्दू न्यूज** (26 सितंबर) के अनुसार लुधियाना के एक स्कूल के प्रिंसिपल और एक अध्यापक पर यह आरोप लगाया गया है कि उन्होंने एक मुस्लिम छात्र के साथ बर्बरतापूर्वक व्यवहार किया है, जिससे छात्र जख्मी हो गया था। सोशल मीडिया पर इस घटना का वीडियो वायरल होते ही लुधियाना पुलिस ने दोषी अध्यापक श्री भगवान को गिरफ्तार कर लिया है।

**मुंबई उर्दू न्यूज** (16 सितंबर) के अनुसार एक मुस्लिम पत्रकार जाकिर अली त्यागी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि पंजाब की देश भगत विश्वविद्यालय में जब कश्मीरी छात्र व छात्राएं अपनी डिग्री की मांग करते हुए प्रदर्शन कर रहे थे तो पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज किया और कई छात्राओं के हिजाब फाड़ दिए। जर्नोमिरर की रिपोर्ट के अनुसार विश्वविद्यालय में लगभग 70 कश्मीरी छात्र व छात्राएं (जो विभिन्न पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों में) पढ़ाई कर रहे थे, को एक अन्य कॉलेज सरदार लाल सिंह कॉलेज में स्थानांतरित कर दिया गया। क्योंकि देश भगत विश्वविद्यालय को भारतीय नर्सिंग काउंसिल की मान्यता प्राप्त नहीं है। सरकार ने देश भगत विश्वविद्यालय को फिलहाल बंद करने का फैसला किया है। छात्रों

का आरोप है कि देश भगत विश्वविद्यालय के पास केवल साठ सीटों पर छात्रों के दाखिले की अनुमति है। मगर विश्वविद्यालय प्रशासन ने छात्रों को धोखे में रखकर 130 छात्रों को दाखिला दे दिया। अब कोर्स पूरा होने के बावजूद उन्हें डिग्री नहीं दी जा रही है और उन्हें जिस कॉलेज की डिग्री देने की बात कही जा रही है वह भी भारतीय नर्सिंग काउंसिल से मान्यता प्राप्त नहीं है। देश भगत विश्वविद्यालय के प्रवक्ता ने कहा कि छात्रों द्वारा लगाए गए सभी आरोप बेबुनियाद हैं और वे जानबूझकर विश्वविद्यालय प्रशासन को ब्लैकमेल करने का प्रयास कर रहे हैं। प्रवक्ता ने कहा कि इस विवाद को शीघ्र ही सुलझा लिया जाएगा।

**मुंबई उर्दू न्यूज** (27 सितंबर) ने अपने संपादकीय में कहा है कि अगर मुजफ्फरनगर के मुस्लिम छात्र को न्याय मिल जाता और दोषी महिला टीचर के खिलाफ तुरंत कानूनी कार्रवाई की जाती तो लुधियाना की शर्मनाक घटना न होती। मुजफ्फरनगर की तरह देश में कई घटनाएं घट रही हैं। लुधियाना में भी एक बच्चे को दो अन्य बच्चों से पिटाई करवाई गई। बच्चे की मां का कहना है कि जब वह शिकायत लेकर स्कूल में गई तो उसे यह धमकी दी गई कि अगर उसने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई तो उसके बच्चे को स्कूल से निकाल दिया जाएगा। यह घटना सांप्रदायिक घृणा का सबूत है। यह घटना सांप्रदायिक घृणा की श्रेणी में इसलिए आती है कि बच्चा मुसलमान है और जिस अध्यापक के इशारे पर उसे पीटा गया है उसका नाम श्री भगवान है। इस तरह की अनेक घटनाएं हो रही हैं। सच तो यह है कि 2014 के बाद से इस देश में जो नफरत का वातावरण बनाया जा रहा है उसके कारण ऐसी घटनाओं में निरंतर वृद्धि हो रही है।

## मुस्लिम महिलाओं को पैतृक संपत्ति में हिस्सा दिलवाने के लिए विशेष अभियान

**रोजनामा सहारा** (19 सितंबर) के अनुसार मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की कार्यकारिणी की बैठक में यह फैसला किया गया है कि पैतृक संपत्ति में मुस्लिम महिलाओं को निश्चित रूप से भागीदार बनाने के लिए देश भर में एक विशेष अभियान चलाया जाएगा। बैठक में भाग लेने वाले कई मुस्लिम विद्वानों ने यह मत व्यक्त किया है कि हालांकि, शरीयत में महिलाओं को पैतृक संपत्ति में भागीदार बनाने की व्यवस्था है। मगर इसके बावजूद बहुत सारे मामलों में बहनों और बेटियों को उनका हिस्सा नहीं मिल पाता। इसी तरह से बेटे की संपत्ति से मां को और पति की संपत्ति से उसकी विधवा को वंचित रखा जाता है। भाई की संपत्ति में बहन का जो हिस्सा होता है वह भी उसे नहीं मिलता। बैठक में कहा गया कि यह सबकुछ गैर-शरई ढंग से हो रहा है। इसलिए यह जरूरी है कि इस मामले में मुस्लिम समाज में जागृति पैदा करने के लिए विशेष अभियान चलाया जाए।

बोर्ड के प्रवक्ता डॉ. सैयद कासिम रसूल इलियास ने पत्रकारों को बताया कि बैठक में यह भी मत व्यक्त किया गया है कि इस देश में महिलाओं को कई तरह के सामाजिक और शरई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जैसे मुस्लिम समाज में बालिकाओं की भ्रूण हत्या की जा रही है। दहेज की कुप्रथा के कारण मुस्लिम समाज में लड़कियों की शादी की समस्या गंभीर रूप ले रही है। नौकरियों में उनका शोषण किया जाता है। इसके अलावा घरेलू हिंसा की घटनाओं में भी वृद्धि हुई है। इन कुप्रथाओं के खिलाफ

संहिता को थोपने के जो प्रयास किए जा रहे हैं उनका पूरी ताकत से मुकाबला किया जाए और समाज को जागृत करने के लिए सम्मेलनों और संवाददाता गोष्ठियों का आयोजन किया जाए। बोर्ड की बैठक में इस बात पर संतोष व्यक्त किया गया है कि समान नागरिक संहता को लागू किए जाने के खिलाफ विधि आयोग को एक ज्ञापन दिया गया है और इस अभियान में 63 लाख लोगों ने हिस्सा लिया है और इस प्रयास को आगे भी जारी रखा जाएगा।

अभियान के सिलसिले में बोर्ड ने देश को तीन भागों में विभाजित किया है और हर विभाग का प्रभारी एक सचिव को बनाया गया है। इसके अतिरिक्त समाज सुधार आंदोलन चलाने के लिए एक कमेटी बनाई गई है, जिसमें मौलाना सैयद अहमद, फैसल रहमानी, मौलाना मोहम्मद उमरैन और डॉ. सैयद कासिम रसूल इलियास शामिल हैं।

इस बैठक में यह भी तय किया गया कि सरकार द्वारा मुस्लिम समाज पर समान नागरिक बैठक में इस बात पर असंतोष व्यक्त किया गया कि केंद्र और राज्य सरकारें वक्फ संपत्ति को हड़पने के लिए एक सुनियोजित अभियान चला रही हैं और इसमें वक्फ बोर्डों की भी भागीदारी है। इसलिए मुस्लिम वक्फ की रक्षा के लिए देश भर में पांच वक्फ सम्मेलनों का आयोजन करके सरकार की ओर से किए जा रहे प्रयासों के बारे में मुस्लिम जनता को जागरूक किया जाएगा।

## कर्नाटक के ईदगाह मैदान में गणेश चतुर्थी मनाने पर विवाद

**रोजनामा सहारा** (16 सितंबर) के अनुसार कर्नाटक के हुबली स्थित ईदगाह मैदान में गणेश चतुर्थी मनाने के प्रश्न पर एक बार फिर से विवाद खड़ा हो गया है। हिंदू संगठनों ने हुबली के ईदगाह मैदान में भगवान गणेश की मूर्ति स्थापित करने के लिए जिला प्रशासन से अनुमति मांगी थी। इसके बाद मुसलमानों द्वारा विरोध प्रदर्शनों का सिलसिला शुरू हो गया। मुस्लिम संगठन अंजुमन-ए-इस्लाम ने कर्नाटक उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की, जिसमें ईदगाह मैदान में गणेश चतुर्थी मनाने पर रोक लगाने की मांग की गई थी। मगर उच्च न्यायालय ने इस याचिका को खारिज कर दिया। गौरतलब है कि पिछले साल भी इस मामले पर बहुत बड़ा विवाद हुआ था। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने जब अंजुमन-ए-इस्लाम की गणेश चतुर्थी समारोह पर रोक लगाने वाली याचिका को खारिज कर दिया था तो उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। लेकिन न्यायालय ने इस मामले में हस्तक्षेप करने से साफ इंकार कर दिया था। इस साल हिंदू संगठनों ने नगरपालिका से ईदगाह मैदान में गणेश चतुर्थी का समारोह मनाने की अनुमति मांगी थी। जब नगरपालिका ने गणेश चतुर्थी मनाने की अनुमति नहीं दी तो हिंदू संगठनों ने नगरपालिका कार्यालय के बाहर धरना देकर कीर्तन करना शुरू कर दिया। उन्होंने मांग की कि पिछले साल की तरह इस साल भी गणेश

चतुर्थी ईदगाह मैदान में मनाने की अनुमति दी जाए।

भाजपा के विधायक अरविंद बेलाड ने धमकी दी थी कि अगर नगरपालिका ने ईदगाह मैदान में गणेश चतुर्थी उत्सव मनाने की अनुमति नहीं दी तो भी मूर्ति को इसी मैदान में स्थापित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि सरकार हमारी भावनाओं को समझे और हमारा आंदोलन उस समय तक जारी रहेगा जब तक हमें अनुमति प्राप्त नहीं हो जाती। जब पत्रकारों ने कर्नाटक के मंत्री प्रियांक खड़गे से पूछा कि क्या ईदगाह मैदान में गणेश चतुर्थी का त्योहार मनाने की इजाजत दी गई है तो उन्होंने कहा कि अभी तक हमने इस मांग को रद्द नहीं किया है। जबकि कर्नाटक के गृहमंत्री डॉ. जी. परमेश्वर ने कहा कि हमने यह मामला स्थानीय प्रशासन पर छोड़ दिया है।

**उर्दू टाइम्स** (27 सितंबर) ने आरोप लगाया है कि कर्नाटक में धार्मिक भावनाओं को भड़काने का प्रयास किया जा रहा है। समाचारपत्र के अनुसार कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले में दो लड़कों ने एक मस्जिद में घुसकर जय श्रीराम के नारे लगाए। इस पर पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार किए गए लोगों में 26 वर्षीय सचिन राय और 24 वर्षीय कीर्तन पुजारी शामिल हैं। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि मस्जिद प्रबंधकों ने यह भी रिपोर्ट की है कि इन दोनों व्यक्तियों ने यह धमकी दी थी कि वे मुसलमानों को यहां नहीं रहने देंगे। मस्जिद के इमाम की रिपोर्ट पर पुलिस ने इन दोनों व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस का कहना है कि ये दोनों व्यक्ति शराब के नशे में थे और उनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है।

**मुंबई उर्दू न्यूज** (27 सितंबर) के अनुसार कर्नाटक के बीदर में कुछ शरारती तत्व मस्जिद की दीवार पर चढ़ गए और वहां पर उन्होंने भगवा झंडा लगा दिया। पुलिस का कहना है कि इस घटना की सूचना मिलने पर आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और झंडे को हटा लिया गया है। पुलिस ने कहा है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

**सालार** (27 सितंबर) के अनुसार बेंगलुरु के शांति नगर कब्रिस्तान में मुसलमानों के सिर्फ एक फिरके (समुदाय) को ही अपने शव दफनाने की अनुमति दी जाती है। इसका विरोध करते हुए गुलाम गौस नामक व्यक्ति ने कहा है कि जब मस्जिद सब के लिए है तो कब्रिस्तान में एक विशेष फिरके के ही शव दफनाने की अनुमति क्यों है? उन्होंने कहा कि ब्रिटिश सरकार ने मुसलमानों को शांति नगर में कब्रिस्तान के लिए जगह दी थी और यह कब्रिस्तान सभी मुसलमानों का था। मगर बाद में इस पर मुसलमानों के एक फिरके से संबंधित लोगों ने कब्जा जमा लिया और अब वे बाकी मुसलमानों को इस कब्रिस्तान में शव दफन करने की अनुमति नहीं दे रहे हैं। दूसरे फिरके के मुसलमानों को शव दफनाने के लिए विभिन्न कब्रिस्तानों के चक्कर काटने पड़ते हैं। उन्होंने इस संदर्भ में एक पत्र वक्फ मंत्री और वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष को भी लिखा है। मगर उन्होंने कोई कार्यवाही नहीं की है। ■

# असम के मुख्यमंत्री के खिलाफ पुलिस में शिकायत

**उर्दू टाइम्स** (15 सितंबर) के अनुसार असम प्रदेश महिला कांग्रेस ने राज्य के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ पुलिस में एक शिकायत दर्ज कराई है। इस शिकायत में कहा गया है कि हिमंत बिस्वा शर्मा ने मध्य प्रदेश में एक चुनावी सभा में नफरती भाषण दिया है। असम प्रदेश महिला कांग्रेस की अध्यक्ष मीरा बोरठाकुर गोस्वामी ने कहा है कि हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा था कि जिस तरह से विपक्षी गठबंधन के सदस्य सनातन को मलेरिया और डेंगू बता रहे हैं उसे सहन नहीं किया जाएगा। कांग्रेस को चाहिए कि वह ऐसे तत्वों को आईएनडीआईए गठबंधन से निकाले, वरना हम हनुमान की भांति 10 जनपथ को जला देंगे। महिला कांग्रेस की अध्यक्ष ने कहा है कि हालांकि यह बयान मध्य प्रदेश में दिया गया था, लेकिन इसे असम की मीडिया में खूब फैलाया गया है। सांप्रदायिक नफरत और हिंसा के लिए लोगों को भड़काने के आरोपी मुख्यमंत्री के खिलाफ कार्रवाई की जाए और मुकदमा दर्ज किया जाए। वहीं, दिसपुर पुलिस थाने के प्रभारी रूपम हजारिका ने कहा है कि वे इस मामले की जांच कर रहे हैं। अभी यह निर्णय नहीं हुआ है कि मुख्यमंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए या नहीं। असम विधानसभा में विपक्ष के नेता देबब्रत सैकिया ने भी हिमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ शिवसागर जिले में एक शिकायत दर्ज कराई है। मगर पुलिस ने अभी तक इस संबंध में मुकदमा दर्ज नहीं किया है।

**उर्दू टाइम्स** (14 सितंबर) के अनुसार आम आदमी पार्टी के पूर्वोत्तर राज्यों के प्रभारी राजेश शर्मा ने असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा की पत्नी रिनिकी भुइयां शर्मा पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है और कहा है कि मुख्यमंत्री की पत्नी ने भूमि घोटाले में मोटी कमाई की है। उन्होंने इस संबंध में प्रवर्तन निदेशालय और सीबीआई से जांच करवाने की भी मांग की है। जबकि असम के मुख्यमंत्री ने इन सभी आरोपों का खंडन किया है और कहा है कि ये झूठे आरोप राजनीतिक द्वेष के कारण लगाए गए हैं। राजेश शर्मा ने आरोप लगाया है कि असम के मुख्यमंत्री की पत्नी ने वंद्या इंटरनेशनल स्कूल के नाम से एक निजी स्कूल खोला है और वह चाय की एक बागान और रिसॉर्ट की भी मालकिन हैं।

राजेश शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री की पत्नी ने असम के नौगांव जिले में 106 बीघा कृषि भूमि खरीदी है। जबकि असम के लैंड सीलिंग एक्ट के अनुसार कोई भी व्यक्ति असम में 50 बीघा से ज्यादा की कृषि भूमि नहीं खरीद सकता। उन्होंने कहा कि इस भूमि को खरीदने के बाद वहां 25 करोड़ की लागत से फूड प्रोसेसिंग प्लांट लगाया गया है और इस प्लांट के लिए राज्य सरकार ने दस करोड़ की सब्सिडी दी है।

**सियासत** (24 सितंबर) ने अपने संपादकीय में आरोप लगाया है कि असम के

मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा मुसलमानों के खिलाफ एक सुनियोजित अभियान चला रहे हैं। उन्होंने दीनी मदरसों को अपना निशाना बनाया है। हाल ही में उन्होंने सोनिया गांधी की आवास में आग लगाने की जो धमकी दी है वह भी निंदनीय है। ऐसी भाषा किसी भी मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देती। हालांकि, हिमंत बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस के एक कार्यकर्ता के रूप में ही राजनीति की शुरुआत की थी। जब वे कांग्रेस में थे तो भाजपा ने उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के अनेक आरोप लगाए थे। मगर जैसे ही वे भाजपा में शामिल हुए उन्हें क्लीन चिट दे दी गई।

## संघ द्वारा गैर–हिंदू संप्रदायों से संपर्क बढ़ाने का अभियान

**इंकलाब** (25 सितंबर) के अनुसार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मुसलमानों सहित अन्य गैर-हिंदू संप्रदायों में भी पैर पसारने का प्रयास कर रहा है। हाल ही में लखनऊ में संघ के पदाधिकारियों की एक बैठक को संबोधित करते हुए संघ प्रमुख ने अपने कार्यकर्ताओं को यह निर्देश दिया है कि वे गैर-हिंदुओं के बीच जाकर काम करें और सामाजिक समरसता को बढ़ाने का प्रयास करें। समाचारपत्र ने यह दावा किया है कि यह फैसला 2024 के चुनावों में भाजपा की कमजोर स्थिति को देखते हुए किया गया है। संघ का यह प्रयास है कि आने वाले चुनाव में गैर-हिंदुओं के वोट बैंक में भी सेंध लगाई जाए। लखनऊ के निराला नगर स्थित सरस्वती शिशु मंदिर में संघ प्रमुख ने कार्यकर्ताओं को यह निर्देश दिया है कि वे मुसलमानों, सिखों, जैनियों और अन्य गैर-हिंदू संप्रदाय के लोगों में जाकर काम करें और उन्हें संघ के सामाजिक समरसता संदेश से अवगत कराएं।

समाचारपत्र ने कहा है कि आरएसएस दलितों को भी अपने साथ जोड़ने का प्रयास कर रहा है। संघ के कार्यकर्ता अब ईसाई, मुस्लिम, सिख आदि धर्मों से संबंधित लोगों के घरों में जाकर उनसे संपर्क करेंगे। वे इन धर्मों के उपासना स्थलों पर भी जाएंगे और धार्मिक प्रमुखों से भेंट करके उनका विश्वास प्राप्त करने का प्रयास

करेंगे। इसके साथ ही उन्हें संघ के कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए भी आमंत्रित किया जाएगा। गौरतलब है कि भाजपा ने भी प्रधानमंत्री मोदी के निर्देश पर पसमांदा मुसलमानों को भाजपा की ओर आकर्षित करने के लिए विशेष अभियान चलाया हुआ है। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच 'मोदी मित्र' के एजेंडे पर काम कर रहा है। मगर अब संघ इस कार्यक्रम को विस्तार देना चाहता है। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश के 13 जिले अवध के क्षेत्र में आते हैं। इनमें से प्रत्येक जिले में संघ के ऐसे वरिष्ठ कार्यकर्ता चिन्हित किए गए हैं, जो मुस्लिम, ईसाई, सिख और जैन मत को मानने वालों से संपर्क स्थापित करेंगे और उन्हें संघ की गतिविधियों के बारे में अवगत कराएंगे।

**इंकलाब** (26 सितंबर) के अनुसार आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने लखनऊ में एक बैठक को संबोधित करते हुए कहा है कि लव जिहाद और धर्मांतरण को रोकने के लिए समाज को जागरूक करना होगा। उनका यह भी दावा है कि जहां पर संघ की शाखाएं स्थापित होती हैं, वहां ऐसी सामाजिक समस्याएं स्वत: समाप्त हो जाती हैं। इसलिए यह जरूरी है कि हर धर्म से संबंधित लोगों के क्षेत्रों में संघ की शाखाएं स्थापित की जाएं। इस सिलसिले में स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में विशेष अभियान के तहत धर्मांतरण और लव जिहाद के खिलाफ जन जागरण चलाया जाना चाहिए। संघ के कार्यकर्ताओं ने संघ प्रमुख को बताया कि उत्तर प्रदेश में नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्रों में धर्मांतरण के मामलों में वृद्धि हुई है। इस संबंध में बहराइच, बलरामपुर और श्रावस्ती के ग्रामीण क्षेत्रों का विशेष रूप से उल्लेख किया गया। मोहन भागवत ने कहा कि अगर इन क्षेत्रों में संघ की शाखाएं स्थापित कर दी जाएं तो इस तरह की समस्याओं पर स्वत: काबू पा लिया जाएगा। उन्हें यह भी सूचित किया गया है कि उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण के खिलाफ एक सख्त कानून है, जिसके तहत अब तक एक हजार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी है। बैठक में संघ प्रमुख ने कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया कि वे टकराव की राजनीति अपनाने की बजाय बातचीत से समस्याओं का समाधान निकालने का प्रयास करें। जिन वर्गों में संघ का कार्य नहीं है उन वर्गों में संघ के कार्यकर्ताओं को विशेष रूप से काम करना चाहिए।

**उर्दू टाइम्स** (17 सितंबर) ने अपने संपादकीय में कहा है कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि भारत के मुसलमान भी हिंदू हैं, क्योंकि उनके पूर्वज हिंदू थे और उन्होंने विदेशी आक्रांताओं के भय से अपना धर्मांतरण करवा लिया था। अत: भारत के हर मुसलमान के अंदर हिंदुओं का डीएनए है। समाचारपत्र ने कहा है कि मोहन भागवत के इस बेतुके बयान का संघियों के साथ-साथ कुछ कथित मुस्लिम नेताओं ने भी समर्थन किया है। ऐसे लोग या तो सत्ता से कई तरह का लाभ उठाना चाहते हैं या वे बहुत बुजदिल हैं या फिर उनमें सच्चाई बयान करने की

हिम्मत नहीं है। समाचारपत्र ने कहा है कि इस्लाम दुनिया का सबसे प्राचीन धर्म है। आदम इस्लाम की औलाद होने के कारण हर मनुष्य में आपस में खून का रिश्ता है। इसलिए दुनिया का हर आदमी मुसलमान है और सबका एक ही धर्म इस्लाम है। मोहन भागवत का यह दावा सरासर गलत है कि इस देश में रहने वाले हर मुसलमान के पूर्वज हिंदू थे। दरअसल, यह एक सफेद झूठ है, क्योंकि जिस वक्त यह दुनिया बनाई गई उस वक्त बाबा आदम ने हिंद की पाक भूमि पर अपना पहला कदम रखा था। उसी समय से भारत ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया का कोना-कोना इस्लाम की खुशबू से महक उठा। शैतान ने कुछ लोगों को गुमराह किया और वे सच्चाई के रास्ते से भटक गए। ऐसे लोगों को सही रास्ता दिखाने के लिए खुदा ने लाखों पैगम्बरों को भेजा उनमें आखिरी पैगम्बर हजरत मोहम्मद थे। उन्होंने दुनिया भर के जर्रे-जर्रे को इस्लाम की रोशनी से रोशन कर दिया। इसलिए मुसलमान हिंदुस्तान के सबसे पुराने बाशिंदे हैं।

**हमारा समाज** (30 सितंबर) ने अपने संपादकीय में यह आरोप लगाया गया है कि संघ के लोग और खास तौर पर मोहन भागवत सीधी बात करने की बजाय गोल-मोल भाषा में बात करते हैं। यही प्रशिक्षण आरएसएस के सभी शाखाओं और उससे संबंधित संगठनों में दिया जाता है। एक ओर तो वे मुसलमानों के खिलाफ प्रचार करते हैं। दूसरी ओर, वे समाज सुधारक होने का लबादा भी ओढ़ते हैं। वे उनसे समरसता स्थापित करने का दावा करते हैं। हालांकि, उनका वास्तविक उद्देश्य इस्लाम के खिलाफ जहरीला प्रचार करना होता है। उनकी गुप्त बैठकों में मुसलमानों को देश से मिटा देने की बातें होती हैं। जाहिर तौर पर वे दुनिया के सामने अपने आपको समाज सुधारक और शांति का वाहक के रूप में प्रस्तुत करते हैं। इस तरह से वे मुसलमानों को बेवकूफ बनाते हैं।

बीते 24 सितंबर को आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने लखनऊ में बैठक के दौरान मुसलमानों, सिखों, जैनियों और दलितों से गहरा संपर्क स्थापित करने और उनसे समरसता बनाने का अपने कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया है। इसमें कोई शक नहीं कि यह भाजपा के लिए 2024 के लोकसभा चुनाव में वोट बटोरने का अभियान है। वे दलितों और मुसलमानों को गुमराह करके उनके वोट बटोरने का प्रयास कर रहे हैं। एक ओर तो वे सामाजिक समरसता की बात करते हैं। जबकि दूसरी ओर, वे धर्मांतरण को गैरकानूनी करार देते हैं और धर्मांतरण करने वालों के प्रति नफरत की भावना को भड़काते हैं। हकीकत यह है कि 'हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और' हैं। संघ प्रमुख इसी कहावत का अनुसरण कर रहे हैं। उनकी बातों पर कभी भरोसा नहीं किया जा सकता। समाचारपत्र ने यह सुझाव दिया है कि मुसलमानों, सिखों, ईसाइयों और दलितों को संघ की सभाओं में कतई नहीं जाना चाहिए। क्योंकि आरएसएस के लोग इन वर्गों को गुमराह करके उनके वोट बटोरना चाहते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि देश के चिंतक और मुस्लिम उलेमा आरएसएस की इन कोशिशों को विफल बनाने के लिए एक संगठित व सुनियोजित अभियान चलाएं, ताकि मुल्क की बागडोर उनके हाथों में पुन: न जाने पाए।

# सीरिया के राष्ट्रपति का चीन दौरा

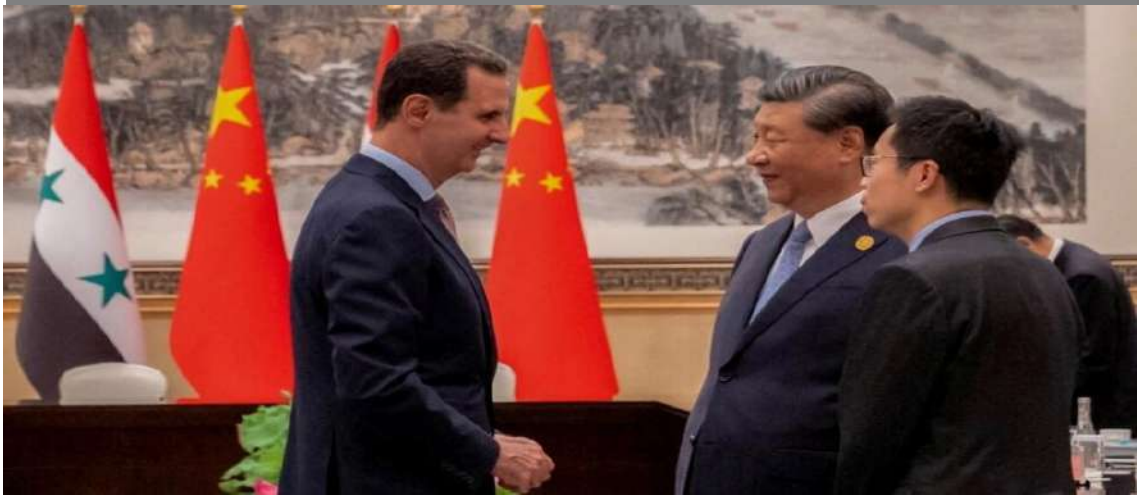

**रोजनामा सहारा** (24 सितंबर) के अनुसार चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल-असद की मुलाकात एशियन गेम्स के उद्घाटन समारोह के बाद हुई। 2004 के बाद सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल-असद का यह पहला चीन दौरा है। इससे पहले वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो मोरोस और ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी भी चीन का दौरा कर चुके हैं। चीन की सरकारी संवाद समिति 'सिन्हुआ' के अनुसार चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और सीरियाई राष्ट्रपति बशर अल-असद ने एक संयुक्त घोषणापत्र में दोनों देशों के बीच कूटनीतिक साझेदारी की स्थापना की घोषणा की। चीनी राष्ट्रपति ने कहा कि चीन किसी भी देश के आंतरिक मामलों में विदेशी हस्तक्षेप का विरोधी है। इसलिए चीन सीरिया की आजादी, संप्रभुता और क्षेत्रीय सुरक्षा के मामले में उसका समर्थन करता है। चीनी राष्ट्रपति ने यह घोषणा की है कि चीन सीरिया के विकास में पूरा सहयोग देगा।

सीरिया के राष्ट्रपति ने कहा कि चीन ने हर नाजुक घड़ी में हमारा साथ दिया है। चीन और सीरिया की दोस्ती विश्व में संतुलन और स्थिरता को बहाल करने में सफल होगी और हम विभिन्न क्षेत्रों में आपसी सहयोग करेंगे। समाचारपत्र का कहना है कि चीन लंबे समय से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सीरिया का समर्थन करता रहा है और यह मुलाकात इस बात का परिचायक है कि सीरिया ने अमेरिका से अपना नाता तोड़ लिया है।

**हिंदुस्तान एक्सप्रेस** (23 सितंबर) के अनुसार सीरिया में गृहयुद्ध शुरू होने से पहले बशर अल-असद ने चीन का दौरा किया था। सीरिया में गृहयुद्ध के कारण अब तक पांच लाख से अधिक लोग मारे जा चुके हैं। इस गृहयुद्ध के चलते सीरिया के औद्योगिक ढांचे और वित्तीय व्यवस्था को भारी क्षति पहुंची है। सीरिया को इस बात की आशा है कि चीन उसे सैनिक और आर्थिक सहायता प्रदान करेगा। अल-असद के चीन दौरे की अहमियत इसलिए भी है कि चीन मध्य पूर्व के देशों में तेजी से अपना प्रभाव बढ़ा रहा है। हाल ही में उसके प्रयास से सऊदी अरब और ईरान के बीच राजनयिक संबंध स्थापित हुए हैं। गौरतलब है कि अमेरिका सीरिया में कुर्द विद्रोहियों का समर्थन करता रहा है। जबकि ईरान सीरिया सरकार की सहायता कर रहा है। इसका

कारण यह भी है कि सीरिया के राष्ट्रपति शिया हैं।

**इत्तेमाद** (25 सितंबर) ने अपने संपादकीय में कहा है कि 12 साल पहले अरब स्प्रिंग (अरब विद्रोह) के दौरान सीरिया में बशर अल-असद सरकार के खिलाफ प्रदर्शनों का सिलसिला शुरू हुआ था। सरकार ने बड़ी सख्ती से इन प्रदर्शनकारियों को कुचलने का प्रयास किया। इसके बाद वहां पर गृहयुद्ध शुरू हो गया। अंतरराष्ट्रीय संगठन विश्व खाद्य कार्यक्रम के अनुसार सीरिया की 90 प्रतिशत आबादी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही है। एक साल पहले अरब देशों में अपने प्रभाव को बढ़ाने के उद्देश्य से चीन ने सीरिया में आर्थिक विकास के लिए सहायता देने की घोषणा की थी। राष्ट्रपति अल-असद का चीन दौरा उस समय हुआ है जब चीन मध्य पूर्व में अपने पैर पसार रहा है।

समाचारपत्र का कहना है कि चीन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थाई सदस्य होने के नाते आठ बार अपने वीटो अधिकार का इस्तेमाल करके संयुक्त राष्ट्र को अल-असद सरकार के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने से रोक चुका है। सीरिया में गृहयुद्ध के कारण अल-असद अरब जगत में अलग-थलग हैं। क्योंकि अधिकांश सुन्नी देश सीरिया के शिया राष्ट्रपति के खिलाफ हैं। दूसरी ओर, पश्चिमी देशों ने भी सीरिया पर कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए हैं। ऐसी स्थिति में चीन के साथ सीरिया का मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित होने से सीरिया में विकास के नए युग की शुरुआत होगी। इससे पहले चीन के दबाव पर सऊदी अरब में आयोजित अरब राष्ट्राध्यक्षों के सम्मेलन में सीरिया को भाग लेने का आमंत्रण दिया गया था। हालांकि, अभी तक किसी भी अरब देश ने सीरिया की आर्थिक सहायता नहीं की है। अब चीन वहां पर पूंजी निवेश करने की तैयारी कर रहा है। सच्चाई तो यह है कि जिन देशों पर अमेरिका और पश्चिमी देशों ने प्रतिबंध लगा रखे हैं, चीन उनके नजदीक आने की कोशिश कर रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि चीन विश्व राजनीतिक मंच पर अमेरिका के मुकाबले में एक वैकल्पिक शक्ति के रूप में उभरने का प्रयास कर रहा है।

# पाकिस्तान में ईद मिलाद—उन—नबी के जुलूस पर आतंकी हमला

**मुंबई उर्दू न्यूज** (30 सितंबर) के अनुसार इस्लाम के पैगंबर हजरत मोहम्मद के जन्मदिन के जुलूस पर आतंकी हमले में कम-से-कम 60 लोग मारे गए और 100 के करीब घायल हो गए। इनमें से अधिकांश की हालत नाजुक बताई जाती है। यह आत्मघाती हमला बलूचिस्तान के मस्तुंग में हुआ। बलूचिस्तान सरकार ने पूरे सूबे में तीन दिन के शोक की घोषणा की है। जबकि खैबर पख्तूनख्वा के जिला हंगू की एक मस्जिद में हुए धमाके में कम-से-कम 10 लोग मारे गए और 32 घायल हो गए। यह धमाका उस समय हुआ जब मस्जिद में जुमा की नमाज अदा की जा रही थी। धमाका इतना जबर्दस्त था कि पूरी मस्जिद ध्वस्त हो गई।

वहीं, बलूचिस्तान में हजरत मोहम्मद के जन्मदिन के जुलूस पर जो हमला हुआ है वह एक मस्जिद के समीप हुआ है। बताया जाता है कि

मस्जिद के अंदर एक आत्मघाती बारूदी जैकेट पहनकर जुलूस में शामिल हुआ था और उसने स्वयं को धमाके से उड़ा लिया, जिसमें कम-से-कम 60 लोग मारे गए और 100 से अधिक घायल हो गए। मरने वालों में डीएसपी नवाज गिश्कोरी भी शामिल हैं। बलूचिस्तान पुलिस के इंस्पेक्टर जनरल अब्दुल खालिक शेख का कहना है कि आत्मघाती हमलावर को रोकने का प्रयास करते हुए पुलिस के डीएसपी सहित पांच अधिकारी मारे गए हैं। उन्होंने कहा कि मरने वालों की संख्या में अभी और वृद्धि हो सकती है। इस जुलूस में तीन हजार लोग शामिल थे। बताया जाता है कि जिस व्यक्ति ने यह धमाका किया वह एक युवक था। अभी तक इस धमाके की जिम्मेवारी किसी भी आतंकी संगठन ने नहीं ली है।

## अब इजरायली नागरिक बिना वीजा के अमेरिका जा सकेंगे

**मुंबई उर्दू न्यूज** (26 सितंबर) के अनुसार बाइडेन प्रशासन ने इजरायल के लिए विशेष सुविधा देने की घोषणा की है, जिसके तहत इजरायली नागरिकों को बिना वीजा के अमेरिका में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। इजरायली नागरिकों को यह सुविधा अगले वर्ष से दी जाएगी। इस समय लगभग 40 यूरोपीय और एशियाई देशों के नागरिकों को तीन महीने तक बिना वीजा के अमेरिका में रहने की अनुमति प्राप्त है। हाल ही में इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात की थी। इस मुलाकात के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति ने इजरायली प्रधानमंत्री से यह आग्रह किया था कि फिलिस्तीन विवाद और इजरायल की न्याय व्यवस्था में संशोधन के कारण सरकार के खिलाफ जो जनाक्रोश भड़का है उसका वे समाधान करें। अगर अमेरिकी सरकार इजरायली नागरिकों को बिना वीजा के अमेरिका जाने की सुविधा प्रदान करने की विधिवत घोषणा करती है तो इससे इजरायल की राजनीति में प्रधानमंत्री नेतन्याहू की स्थिति मजबूत होगी। वहीं, फिलिस्तीनी नेता अमेरिका के इस फैसले की आलोचना कर रहे हैं।

**सियासत** (27 सितंबर) ने अपने संपादकीय में कहा है कि अमेरिका इजरायल पर मेहरबान हो रहा है। अब उसने इजरायल के नागरिकों को बिना वीजा के अमेरिका आने की अनुमति दे दी है। इससे इजरायलियों को अमेरिका के साथ व्यापारिक संबंध बढ़ाने में आसानी होगी

और वे बिना वीजा के तीन महीने तक अमेरिका में रह सकेंगे। उन्हें अमेरिका आने के बाद सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में अपने नाम दर्ज कराने होंगे। इजरायल अमेरिका पर इस बात के लिए जोर दे रहा है कि वह ईरान के मामले में सख्त रूख अपनाए। इजरायल का यह भी प्रयास है कि फिलिस्तीन विवाद में अमेरिका खुलकर उसका साथ दे। हालांकि, हाल ही में वेस्ट बैंक में यहूदी बस्तियों को बसाने और इजरायल की फिलिस्तीन विरोधी रूख की बाइडेन प्रशासन ने आलोचना की थी। इसके बाद इजरायली काफी परेशान हो गए थे। मगर अब अमेरिका की नीति में परिवर्तन के कारण इजरायल को संतोष हुआ होगा।

अमेरिका द्वारा इजरायल को जो राहत दी गई है वह अरब देशों के जख्मों पर नमक छिड़कने के बराबर है। लेकिन अरब देश इस मामले में संवेदनहीनता का प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी तक किसी भी अरब देश ने अमेरिका की इजरायल के साथ बढ़ती हुई दोस्ती की आलोचना नहीं की है। प्रारंभ से ही अमेरिका अरब जगत के मुस्लिम देशों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करने और उन्हें आपसी युद्ध में उलझाए रखने की जालिमाना नीति अपना रखी है। अमेरिका ने हमेशा से अरब जगत के उन राष्ट्र नायकों को सत्ताविहीन करने का प्रयास किया है, जिन्होंने अमेरिका विरोधी रूख अपनाया। अरब लीग का वजूद अब सांकेतिक ही रह गया है और इस्लामी सहयोग संगठन की गतिविधियां केवल अधिवेशनों में लंबे चौड़े प्रस्ताव पारित करने तक सीमित होकर ही रह गई हैं। अमेरिका ने हमेशा अपनी साजिशी नीति के तहत इजरायल के सीमावर्ती देशों इराक, मिस्र, सीरिया और लेबनान में युद्ध को प्रोत्साहन दिया है और गृहयुद्ध का परोक्ष रूप से समर्थन किया है। अमेरिका ने मिस्र में इस्लाम के सिद्धांतों पर आधारित सरकार का तख्ता पलटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अभी तक अमेरिका और रूस दोनों का यह प्रयास रहा है कि अरब देश आपस में ही उलझे रहें।

## अफगानिस्तान में धर्मांतरण के आरोप में 18 व्यक्ति गिरफ्तार

**इंकलाब** (18 सितंबर) के अनुसार अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने एक विदेशी एनजीओ इंटरनेशनल असिस्टेंस मिशन (आईएएम) के 18 कर्मचारियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें एक अमेरिकी महिला भी शामिल है। इन पर आरोप है कि इन्होंने अफगानिस्तान के कई मुस्लिम नागरिकों का धर्मांतरण करके उन्हें ईसाई बनाया है। इन्हें अफगानिस्तान के घोर प्रांत से गिरफ्तार करके काबुल ले जाया गया। घोर के सरकारी प्रवक्ता अब्दुल वाहिद हमास ने संवाददाताओं को बताया कि गुप्तचर विभाग और अन्य सुरक्षा एजेंसियां काफी समय से इस संगठन पर नजर रखी हुई थीं। हाल ही में इस संगठन द्वारा अनेक सभाओं का आयोजन करके ईसाइयत का प्रचार किया गया था।

अफगान मीडिया के अनुसार इस एनजीओ से जुड़े हुए दो व्यक्तियों को घोर प्रांत में अफगान नागरिकों का धर्मांतरण करते हुए गिरफ्तार किया गया था। इनसे पूछताछ के बाद 15 अन्य व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। आईएएम के प्रवक्ता का कहना है कि हालांकि उसका संगठन ईसाई है। मगर वे राहत बांटने में राजनीतिक या धार्मिक विचारधारा की परवाह नहीं करते। अगर कुछ लोग मुसलमान से ईसाई बने हैं तो वे अपनी इच्छा से बने हैं। उन्हें किसी तरह का प्रलोभन नहीं दिया गया है और न ही उन पर किसी तरह का दबाव डाला गया है।

# पाकिस्तान में मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता पर मचा बवाल

**रोजनामा सहारा** (17 सितंबर) के अनुसार कराची की रहने वाली 24 वर्षीय मॉडल एरिका रॉबिन पाकिस्तान की पहली मिस यूनिवर्स बन गई हैं। इस प्रतियोगिता को लेकर पाकिस्तान में विवाद खड़ा हो गया है। कुछ लोगों ने सरकार पर आरोप लगाया है कि सौंदर्य प्रतियोगिता का आयोजन इस्लाम के खिलाफ है। पाकिस्तान मानवाधिकार संगठन की पूर्व अध्यक्ष जोहरा यूसुफ का कहना है कि पाकिस्तान में जब कोई महिला अपने प्रयास से आगे बढ़ती है तो कट्टरपंथी संगठन उसकी राह में रूकावट डालते हैं। उनका यह भी कहना है कि सौंदर्य प्रतियोगिता का आयोजन इस्लाम के सिद्धांतों के खिलाफ नहीं है। गौरतलब है कि मिस यूनिवर्स पाकिस्तान की प्रतियोगिता का आयोजन मालदीव में किया गया था। यह प्रतियोगिता वहां के एक रिसॉर्ट में हुई थी और यह कार्यक्रम पाकिस्तान सरकार की अनुमति के बिना आयोजित की गई थी। जब इसका विरोध किया गया तो सरकार ने इसके जांच के निर्देश दे दिए हैं।

बताया जाता है कि इस प्रतियोगिता में पाकिस्तान की 200 हसीनाएं शामिल हुई थीं, जिनमें से पांच को फाइनल के लिए चुना गया। बाद में पाकिस्तान में फैशन मॉडल के तौर पर काम करने वाली कराची की 24 वर्षीय एरिका रॉबिन मिस यूनिवर्स चुनी गईं। इस प्रतियोगिता का आयोजन दुबई की एजेंसी युगेन ग्रुप ने किया था। एरिका को मिस यूनिवर्स पाकिस्तान का ताज पहनाया गया। अब वह अर्जेंटिना में आयोजित विश्व प्रतियोगिता में पाकिस्तान का प्रतिनिधित्व करेंगी।

जहां एक वर्ग द्वारा इस प्रतियोगिता के समर्थन में कहा जा रहा है कि इस प्रतियोगिता के कारण विश्व मंच पर पाकिस्तानी सुंदरियों का प्रवेश बढ़ेगा। जबकि पाकिस्तान के कट्टरपंथी मुल्ला इसका विरोध कर रहे हैं। जमात-ए-इस्लामी के नेता मौलाना तकी उस्मानी का कहना है कि यह प्रतियोगिता इस्लामी सिद्धांतों के खिलाफ है और इसके आयोजकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। इससे विश्व भर में यह संदेश जाएगा कि पाकिस्तान में इस्लामी सिद्धांतों को तार-तार किया जा रहा है।

पाकिस्तान नेशनल असेंबली के सदस्य मुश्ताक अहमद खान ने इसे पाकिस्तान के लिए शर्मनाक करार दिया है। पत्रकार अंसार अब्बासी का कहना है कि पाकिस्तान के किस अधिकारी ने इस सौंदर्य प्रतियोगिता में महिलाओं को भाग लेने की अनुमति दी थी? जबकि महिला नेत्री मारिया बाबर का कहना है कि पाकिस्तान सभी पाकिस्तानियों का है। इस तरह के प्रतियोगिताओं से विश्व में पाकिस्तान के प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। जबकि मिस यूनिवर्स पाकिस्तान एरिका रॉबिन का कहना है कि इस प्रतियोगिता से विश्व भर में पाकिस्तान की इज्जत बढ़ी है और उन्हें विश्व सौंदर्य प्रतियोगिता में पाकिस्तान का प्रतिनिधित्व करके प्रसन्नता होगी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी पुरुष किसी भी महिला को किसी भी क्षेत्र में बढ़ता हुआ नहीं देख सकते हैं।

# पाकिस्तान में जनवरी में होंगे आम चुनाव

**इंकलाब** (22 सितंबर) के अनुसार पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने घोषणा की है कि देश में आम चुनाव अगले वर्ष के जनवरी महीने के आखिरी सप्ताह में कराए जाएंगे। चुनाव आयोग ने कहा है कि नई जनगणना के अनुसार निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के लिए पहली सूची 27 सितंबर को प्रकाशित की जाएगी और उन पर आने वाले सुझावों व आपत्तियों पर विचार करने के बाद 30 नवंबर को निर्वाचन क्षेत्रों की अंतिम सूची जारी कर दी जाएगी। इसके बाद जनवरी 2024 के आखिरी सप्ताह में पूरे पाकिस्तान में आम चुनाव करवाए जाएंगे। चुनाव आयोग की इस घोषणा के बाद पाकिस्तान में चुनावों के बारे में अनिश्चितता खत्म हो गई है। पाकिस्तान की डेमोक्रेटिक मुवमेंट की सरकार ने नई जनगणना की स्वीकृति के बाद निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन करने का निर्देश दिया था। इसके कारण पाकिस्तान में चुनाव की अनिश्चितता को बल मिला था। इस वर्ष अगस्त महीने के प्रारंभ में राष्ट्रीय असेंबली और राज्य विधानसभाओं को समय से पूर्व भंग किए जाने के कारण चुनाव आयोग के लिए यह अनिवार्य हो गया है कि वह 90 दिनों की अवधि के अंदर ही देश में चुनाव करवाए। पाकिस्तान की विभिन्न राजनीतिक पार्टियों जैसे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग (नवाज) आदि ने चुनाव आयोग से यह अनुरोध किया था कि अनिश्चितता को समाप्त करने के लिए नए चुनावों की तिथियों की घोषणा की जाए।

# स्विट्जरलैंड में बुर्का पर प्रतिबंध

**इंकलाब** (22 सितंबर) के अनुसार स्विट्जरलैंड की संसद ने बुर्का पर प्रतिबंध लगाने के कानून को पारित कर दिया है। यह विधेयक दक्षिणपंथी दल स्विस पीपुल्स पार्टी की ओर से पेश किया गया था। राष्ट्रीय काउंसिल के 151 सदस्यों ने इस कानून के पक्ष में मतदान किया। जबकि 29 सदस्यों ने इसका विरोध किया। गौरतलब है कि स्विस संसद के ऊपरी सदन ने इस कानून को पहले ही मंजूर कर लिया था और दो साल पहले इस संदर्भ में देश भर में जनमत संग्रह करवाया गया था। इस जनमत संग्रह में स्विस जनता ने नकाब, बुर्का, हिजाब आदि पर प्रतिबंध लगाने का समर्थन किया था। अब इस पाबंदी पर राष्ट्रीय काउंसिल ने भी मुहर लगा दी है। इस कानून का उल्लंघन करने वालों पर एक हजार स्विस फ्रैंक तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। इस कानून के तहत अब सार्वजनिक स्थानों व निजी भवनों में नाक, मुंह और आंखों को ढंकने पर प्रतिबंध होगा। हालांकि, स्विट्जरलैंड में बहुत कम संख्या में महिलाएं बुर्का पहनती हैं। यूरोपीय देशों में से बेल्जियम और फ्रांस जैसे देश पहले ही बुर्का पर प्रतिबंध लगा चुके हैं।

# सऊदी अरब और इजरायल के बीच राजनयिक संबंध स्थापित होने की संभावना

**मुंबई उर्दू न्यूज** (24 सितंबर) के अनुसार इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि इजरायल और सऊदी अरब शांति के समझौते पर हस्ताक्षर करने के करीब पहुंच चुके हैं। इसके साथ ही दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंध स्थापित होने की भी संभावना है। उन्होंने कहा कि सऊदी अरब के साथ संबंध स्थापित करने से नए मध्य पूर्व का जन्म होगा। इजरायली प्रधानमंत्री ने संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करते हुए कहा कि हमारे सामने यह विकल्प मौजूद है कि हम असीमित विकास और शांति का लाभ उठाएं या फिर आतंकवाद और निराशा के भीषण युद्ध से तकलीफ उठाएं। उन्होंने कहा कि मैंने पांच साल पहले भी इसी स्थान पर संबोधित करते हुए कहा था कि वह दिन आएगा जब इजरायल मिस्र और जॉर्डन सहित अन्य अरब देशों के साथ शांति स्थापित करने की दिशा में पहल करेगा। इससे इजरायल और अरब देशों के बीच शांति स्थापित होगी और फिलिस्तीन के मुद्दे को भी शांतिपूर्ण तरीके से हल करने के अवसर बढ़ जाएंगे। अब्राहम समझौते ने शांति के एक नए युग की शुरुआत की है और इजरायल व सऊदी अरब के बीच ऐतिहासिक शांति संधि पर शीघ्र ही हस्ताक्षर होंगे। इससे अरब और इजरायल के विवाद को समाप्त करने के दरवाजे खुल जाएंगे और अन्य अरब देश भी इजरायल के साथ संबंध स्थापित करेंगे। यहूदी धर्म और इस्लाम के बीच दोस्ती का नया युग शुरू होगा और यरुशलम व मक्का के बीच सहयोग की भावना बढ़ेगी।

**इत्तेमाद** (21 सितंबर) के अनुसार सऊदी अरब के युवराज मोहम्मद बिन सलमान ने यह स्वीकार किया है कि इजरायल के साथ राजनयिक संबंध स्थापित करने की कोशिश हो रही है। उन्होंने कहा कि हम इजरायल के साथ शांति समझौता करने के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं। उन्होंने इस बात का खंडन किया कि 9 नवंबर

2001 को अमेरिका में हुए हमलों में सऊदी अरब का हाथ था। उनसे पूछा गया कि क्या यह सच है कि इन हमलों की योजना बनाने वाले 15 लोग सऊदी नागरिक थे? इस पर सऊदी युवराज ने कहा कि अलकायदा के नेता ओसामा बिन लादेन ने इस हमले की योजना तैयार की थी। उसने 1990 में सऊदी अरब के खिलाफ भी हमले किए थे। वह सऊदी अरब का दुश्मन था। उन्होंने कहा कि सऊदी अरब के साथ इजरायल के संबंध अगले वर्ष तक सामान्य हो जाएंगे।

वहीं, अमेरिका इस बात का काफी समय से प्रयास कर रहा है कि सऊदी अरब और इजरायल के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित हो। अमेरिकी सरकार के एक प्रवक्ता ने कहा कि राष्ट्रपति जो बाइडेन इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि इजरायल और सऊदी अरब के बीच राजनयिक संबंध स्थापित हो। सऊदी अरब ने इजरायल के साथ संबंध स्थापित करने के लिए कुछ शर्तें रखी हैं। उनमें यह शर्त भी शामिल है कि अमेरिका सऊदी अरब के परमाणु कार्यक्रम में सहयोग करेगा और अमेरिकी हथियारों के खरीद पर जो अभी तक प्रतिबंध लगे हुए हैं उन्हें समाप्त किया जाएगा। गौरतलब है कि डोनाल्ड ट्रम्प के शासनकाल में कई देशों के साथ अमेरिका के प्रयास से अब्राहम समझौते किए गए थे, जिसके तहत इजरायल के साथ कई अरब देशों के साथ राजनियक संबंध स्थापित हुए थे। जिन देशों ने ऐसे समझौते किए उनमें संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, सूडान और मोरक्को शामिल हैं। सऊदी अरब इस बात पर जोर दे रहा है कि इजरायल के साथ संबंधों की स्थापना के लिए यह जरूरी है कि फिलिस्तीन को अलग राज्य के रूप में मान्यता दी जाए।

**सियासत** (25 सितंबर) के अनुसार इजरायली विदेश मंत्री एली कोहेन ने यह दावा किया है कि सऊदी अरब के साथ समझौता होते ही छह या सात अन्य अरब देश भी हमारे साथ राजनयिक और व्यापारिक संबंध स्थापित कर लेंगे। इस संबंध में कई ऐसे मुस्लिम देशों के शासकों के साथ मुलाकातें भी की गई हैं। इजरायल के विदेश मंत्री ने कहा कि मैं अभी ऐसे मुस्लिम देशों के नामों की घोषणा करने को उचित नहीं समझता। यह हकीकत है कि हम सऊदी अरब के साथ शांति समझौते के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं और इस समझौते से मुस्लिम जगत और यहूदियों के बीच शांति और विकास के नए युग की शुरुआत होगी।

**मुंबई उर्दू न्यूज** (22 सितंबर) के अनुसार इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ मुलाकात करने के बाद संवाददाताओं को बताया कि अमेरिका के प्रयास से अब इस बात की उम्मीद पैदा हो गई है कि इजरायल को शीघ्र ही सऊदी अरब मान्यता दे देगा और दोनों देशों के बीच शांति समझौता भी होगा। अमेरिकी विदेश मंत्री ने एबीसी न्यूज के कार्यक्रम में हिस्सा लेते हुए कहा कि अगर इजरायल और सऊदी अरब का समझौता हो जाता है तो इससे इस क्षेत्र में शांति स्थापित होगी और विकास के नए युग की शुरुआत होगी। उन्होंने कहा कि काफी समय से हम इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं। मगर अब कुछ ठोस हल निकलने की संभावना है।

**रोजनामा सहारा** (21 सितंबर) के अनुसार अमेरिका और सऊदी अरब के बीच रक्षा संधि होने की संभावना है। अमेरिकी अखबार 'न्यूयॉर्क टाइम्स' के अनुसार यह संधि ठीक वैसी ही होगी, जैसी संधि अमेरिका का जापान और दक्षिण कोरिया के साथ है। इस समझौते के तहत अगर कोई भी विदेशी शक्ति अमेरिका या सऊदी अरब पर हमला करती है तो दोनों देश आपसी सहयोग से उसका सामना करेंगे। गौरतलब है कि अमेरिका और सऊदी अरब के बीच इस तरह का कोई भी समझौता होता है तो उससे सऊदी अरब और चीन के बीच के बढ़ते हुए संबंधों को गहरा धक्का

लगेगा। ऐसा प्रतीत होता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन इस बात के लिए प्रयत्नशील हैं कि अमेरिका के सैन्य संबंध मध्य पूर्व के अरब देशों के साथ और अधिक बढ़े, ताकि चीन इस क्षेत्र में अपना प्रभाव न बढ़ा सके। ऐसा प्रतीत होता है कि अमेरिका सऊदी अरब में अपने और सैनिक भेजने की तैयारी कर रहा है। इस समय सऊदी अरब में अमेरिका के 2700 सैनिक मौजूद हैं। सऊदी अरब को अमेरिका भारी मात्रा में सैन्य उपकरण भी उपलब्ध करा सकता है, ताकि सऊदी अरब को अमेरिका के नजदीक लाकर उसे चीन से दूर किया जा सके।

# ईरान में महिलाओं पर सख्ती का कानून पारित

**रोजनामा सहारा** (21 सितंबर) के अनुसार ईरान की संसद ने एक कानून पारित किया है, जिसके तहत इस्लामी शरा में निर्धारित लिबास न पहनने वाली महिलाओं को दस वर्ष की कठोर कैद की सजा देने की व्यवस्था की गई है। इस कानून के तहत हिजाब न पहनने वाली महिलाओं को भी दस वर्ष कैद की सजा दी जा सकती है। ईरान की सरकारी संवाद समिति 'आईआरएनए' के अनुसार यह कानून ईरान की संस्कृति के अनुसार शर्मो हया को बरकरार रखने के लिए पारित किया गया है। इस विधेयक को ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने अभी तक मंजूरी नहीं दी है। मगर क्योंकि ईरान के सबसे बड़े धार्मिक नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई ने इस विधेयक का खुलकर समर्थन किया है। ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति के पास इस कानून पर अपनी मुहर लगाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं रहा है।

इस कानून के अनुसार जो कोई व्यक्ति ईरानी महिलाओं के गैर-शरई लिबास और हिजाब न पहनने के समर्थन में प्रचार करेगा, उसके खिलाफ भी इस कानून के तहत कार्रवाई की जा सकती है। हाल ही में कुछ ईरानी महिलाओं को हिजाब न पहनने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है और उनके खिलाफ विशेष न्यायालयों में मुकदमा चलाया जा रहा है। गौरतलब है कि पिछले साल के सितंबर महीने में एक 22 वर्षीय युवती महसा अमीनी को पुलिस ने ठीक से हिजाब न पहनने के आरोप में गिरफ्तार किया था और बाद में पुलिस हिरासत में ही अमीनी की मौत हो गई थी। कहा जाता है कि उसकी मौत पुलिस की प्रताड़ना के कारण हुई थी। इसके बाद ईरान में हिजाब के कानून को सख्ती से लागू करने के खिलाफ सरकार विरोधी उग्र प्रदर्शन शुरू हो गए थे, जिसमें लाखों लोगों के भाग लेने का दावा किया गया था। 20 हजार लोगों को गिरफ्तार करके उनके खिलाफ मुकदमे चलाकर उन्हें सख्त कैद की सजा दी गई थी। ईरानी प्रशासन ने यह आरोप लगाया था कि इन प्रदर्शनों के पीछे विदेशी ताकतों और खास कर यूरोप के देशों और अमेरिका का हाथ है। इन प्रदर्शनों में एक हजार से अधिक लोग मारे गए थे। तब से अमेरिका और अन्य यूरोपीय देश व संयुक्त राष्ट्र संघ ईरान सरकार पर दबाव डाल रहे हैं कि वह शरई लिबासों को जबरन महिलाओं पर थोपने का प्रयास न करे। क्योंकि यह महिलाओं के मूलभूत अधिकारों के खिलाफ है। मगर ईरान सरकार ने इस विदेशी दबाव के सामने झुकने से इंकार कर

दिया है। उसका कहना है कि ईरान एक इस्लामी देश है, इसलिए वह इस्लामी शरा के अनुसार निर्धारित लिबासों को अनिवार्य बनाने के अपने फैसले से पीछे नहीं हटेगा।

ईरान सरकार के अनुसार रजा शाह पहलवी के शासनकाल में महिलाओं में पश्चिमी लिबास को पहनने का जो जुनून शुरू हुआ था, उसे 1979 में हुई इस्लामी क्रांति के बाद रद्द कर दिया गया था और यह कानून बनाया गया था कि महिलाओं के लिए गर्दन और सिर को ढकना अनिवार्य होगा। कोई भी महिला ऐसा लिबास नहीं पहनेगी, जो उसके अंगों को प्रदर्शित करे। पिछले साल इस कानून को सख्ती से लागू किया गया था और सभी बड़े नगरों में सार्वजनिक स्थानों पर कैमरे लगाए गए थे और मोरल पुलिस को यह निर्देश दिया गया था कि वह इस कानून का उल्लंघन करने वाली महिलाओं को तत्काल गिरफ्तार करें।

**सियासत** (20 सितंबर) ने अपने संपादकीय में कहा है कि ईरान में हिजाब को अनिवार्य घोषित करने के खिलाफ जो राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन शुरू हुए थे, वह कुछ दिनों के बाद खत्म हो गए थे। लेकिन ईरान की इस्लामी हुकूमत को इस संदर्भ में काफी धक्के लगे हैं। अमेरिका ने ईरान पर जो प्रतिबंध लगाए हैं, उसके कारण ईरान को आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ा है। इसके बाद इस बात की संभावना बढ़ गई थी कि विश्व के दबाव के तहत ईरान मोरल पुलिस को समाप्त कर देगा और हिजाब के सख्त कानून को रद्द कर देगा। मगर ईरान सरकार ने अब कानून बनाकर हिजाब और इस्लामी लिबास न पहनने वाली महिलाओं के लिए दस वर्ष कैद की सजा देने का जो फैसला किया है उससे यूरोप के देशों और मानवाधिकारों संगठनों के सभी अनुमान गलत साबित हुए हैं। ईरान में हुए प्रदर्शनों में एक हजार से अधिक लोग मारे गए थे, जिनमें 100 के लगभग बच्चे भी शामिल थे और कम-से-कम 10 लोगों को मौत की सजा दी गई थी।

समाचारपत्र का कहना है कि 1979 के इस्लामी क्रांति के बाद ईरान सरकार वहां के समाज में बढ़ते हुए यूरोपीय प्रभाव को रोकने के लिए कटिबद्ध है। इसलिए उसने सख्ती से शरई कानूनों को लागू करने का फैसला किया है। इसका उद्देश्य लड़कियों और महिलाओं के अस्तित्व की रक्षा करना है। बेपर्दा बेहयाई होती है और इसके परिणामस्वरुप पुरुषों और महिलाओं में अवैध संबंध स्थापित होते हैं। ये अवैध संबंध शरिया में हराम हैं और इसके लिए सख्त सजा की व्यवस्था है। अमेरिका ने ईरान पर सख्त पाबंदियों को लगाकर यह प्रयास किया था कि ईरान इस्लामी शरिया को सख्ती से लागू न करे। वहीं, अयातुल्लाह खामेनेई इस्लामी क्रांति के स्वप्न को सख्ती से लागू करना चाहते हैं और इस्लामी शरिया को समाज पर लागू करने के पक्षधर हैं। अमेरिका ने लाख प्रयास के बावजूद ईरान सरकार को शरिया कानूनों को लागू करने से रोकने में विफल रहा है। ■

# कुवैत में सह–शिक्षा पर प्रतिबंध

**इंकलाब** (17 सितंबर) के अनुसार कुवैत विश्वविद्यालय में सह-शिक्षा पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसका विरोध मीडिया एवं कुछ छात्र संगठनों द्वारा किया जा रहा है। उनका कहना है कि कट्टरवाद जीत गया है। उनका कहना है कि इस फैसले से देश में महिला शिक्षा को भारी धक्का लगेगा और हजारों छात्रों का कैरियर तबाह हो जाएगा। कुवैत विश्वविद्यालय में 27 सितंबर से नया शैक्षणिक सत्र शुरू हो रहा है। सरकार ने यह घोषणा की है कि इस शैक्षणिक सत्र में लड़के और लड़कियां एक साथ शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाएंगे। दूसरी ओर, कुवैत के एक दर्जन सांसदों ने

इस फैसले का समर्थन किया है और शिक्षा मंत्री आदेल अल-माने को चेतावनी दी है कि वे किसी भी दबाव में आकर इस फैसले को वापस न लें। क्योंकि यह फैसला शरिया के अनुसार है। विश्वविद्यालय के कार्यवाहक निदेशक फैज अल-धाफिरी का कहना है कि इस्लाम में महिलाओं और पुरुषों के बीच मेल-जोल पर प्रतिबंध है। कुवैत क्योंकि इस्लामी देश है, इसलिए हम इस्लामी कानून और शरिया को लागू कर रहे हैं। उन्होंने यह विश्वास दिलाया है कि उनके इस फैसले से महिलाओं की शिक्षा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उनके लिए अलग कक्षाओं की व्यवस्था की जाएगी। गौरतलब है कि कुवैत में महिलाओं के लिए हिजाब पहनना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त गैर-इस्लामी लिबास पहनने वाली महिलाओं के विज्ञापनों को मीडिया में प्रकाशित करने पर भी प्रतिबंध है।

## अल–शबाब के आतंकियों द्वारा इथियोपिया के सैकड़ों सैनिकों की हत्या

**इंकलाब** (19 सितंबर) के अनुसार इस्लामी आतंकवादी संगठन अल-शबाब के आतंकियों ने पश्चिमी सोमालिया में घात लगाकर इथियोपिया के सैकड़ों सैनिकों की हत्या कर दी है। सरकारी तौर पर यह स्वीकार किया गया है कि मरने वालों की संख्या 167 है। जबकि गैर-सरकारी सूत्रों का कहना है कि कई सौ इथियोपियाई सैनिक इस हमले में मारे गए हैं। न्यूज पोर्टल 'सोमाली गार्डियन' ने

अल-शबाब के सूत्रों के हवाले से यह दावा किया है कि एक हजार के करीब इथियोपियाई सैनिकों को अल-शबाब के कैडर ने बंदी बना लिया है। अल-शबाब के कैडर के हाथ काफी मात्रा में सैन्य हथियार भी लगे हैं। हालांकि, इथियोपिया की सेना ने अभी तक इस पर कोई टिप्पणी नहीं की है। न्यूज पोर्टल के अनुसार अल-शबाब के सशस्त्र आतंकी इथियोपिया की सीमा में घुस गए और उन्होंने इथियोपियाई सैनिकों पर हमला कर दिया। गौरतलब है कि अल-शबाब एक आतंकी संगठन है, जिसके तार अलकायदा और आजाद कुर्द मिलिशिया से जुड़े हुए हैं।

एक अन्य समाचार के अनुसार उत्तरी इराक में तुर्किये के ड्रोन हमलों में कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी के एक विशेष सैनिक अधिकारी और एक दर्जन आतंकी मारे गए हैं। तुर्किये ड्रोन ने कुर्द विद्रोहियों के एक काफिले पर हमला किया था। इस संगठन को तुर्किये, अमेरिका और यूरोपीय यूनियन ने

आतंकवादी संगठन घोषित कर रखा है और ये विद्रोही तीन दशक से तुर्किये सरकार के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष कर रहे हैं। पिछले दिनों तुर्किये की राजधानी इस्तांबुल में इस संगठन ने एक आत्मघाती हमले में 300 के लगभग तुर्किये के सैनिकों की हत्या कर दी थी।

# ईरान में आईएसआईएस के 28 आतंकी गिरफ्तार

**इंकलाब** (25 सितंबर) के अनुसार ईरानी सरकार ने यह दावा किया है कि उसने आईएसआईएस के 28 आतंकियों को गिरफ्तार कर लिया है। ये आतंकी तेहरान में आतंकी हमलों की योजना बना रहे थे। ईरानी गुप्तचर विभाग द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है कि ईरानी गुप्तचर एजेंसियों की सूचना के आधार पर ईरान में तेहरान, अलबोर्ज और अजरबैजान प्रांत में आतंकियों के गुप्त ठिकानों पर छापे मारे गए थे, जिसमें आईएसआईएस के 28 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया। इस संदर्भ में यह भी उल्लेखनीय है कि आईएसआईएस एक सुन्नी संगठन है और वह अफगानिस्तान और ईरान में शियाओं के खून से होली खेल रहा है। ईरानी गुप्तचर विभाग ने यह भी घोषणा की है कि पिछले साल 22 वर्षीय कुर्द लड़की महसा अमीनी की हत्या की पहली बरसी के मौके पर आईएसआईएस के ये आतंकी देश भर में दर्जनों स्थानों पर बम विस्फोट करने की योजना बना रहे थे। ये लोग सीरिया, अफगानिस्तान, पकिस्तान और इराक में शियाओं को अपना निशाना बना रहे हैं। ईरान सरकार ने यह दावा किया है कि गिरफ्तार किए गए लोगों के पास से भारी मात्रा में बम, हथियार और आत्मघाती जैकेट बरामद हुए हैं। इस कार्रवाई के दौरान दो ईरानी अधिकारी भी मारे गए हैं। सरकार ने यह भी दावा किया है कि यह गिरोह तेहरान के घनी आबादी वाले क्षेत्रों में 22 सितंबर को 30 स्थानों पर बमों के धमाके करने की योजना बना रहा था।

**उर्दू टाइम्स** (25 सितंबर) के अनुसार गिरफ्तार किए गए आतंकियों का लक्ष्य ईरान में अव्यवस्था और हिंसा फैलाना था, ताकि सरकार के खिलाफ जनता में माहौल बनाया जा सके। गिरफ्तार किए गए लोगों के कब्जे से बरामद 30 बमों को सेना ने निष्क्रिय कर दिया है। सरकारी न्यूज एजेंसी 'तस्नीम' ने एक प्रेस विज्ञप्ति में यह दावा किया है कि गिरफ्तार किए गए लोगों का संबंध सीरिया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इराक से है। इस एजेंसी ने यह भी दावा किया है कि पिछले साल ईरान में सरकार के खिलाफ जो उग्र प्रदर्शन हुए थे, उसके पीछे इस खूनी आतंकी संगठन का हाथ था। 2017 में आईएसआईएस के आतंकियों ने ईरानी संसद में बम धमाके किए थे। इसके अतिरिक्त उन्होंने इस्लामी क्रांति के प्रवर्तक रुहोल्ला खोमैनी के मकबरे को भी अपना निशाना बनाया था। पिछले वर्ष अक्टूबर महीने में शिराज नगर के एक मजार पर आत्मघाती हमले में 25 ईरानी नागरिक मारे गए थे। पकड़े गए लोगों ने यह स्वीकार किया था कि उन्होंने काबुल में सात बम धमाके किए थे, जिनमें 500 के लगभग लोग मारे गए थे। इसमें से अधिकांश शिया और हजारा कबीले के लोग थे। ईरान सरकार ने यह दावा किया है कि इस गिरोह की गिरफ्तारी से सुन्नी आतंकी संगठन आईएसआईएस के खतरनाक मंसूबों को भारी धक्का लगा है।

# तुर्किये के राष्ट्रपति की इजरायल के प्रधानमंत्री से मुलाकात

**इत्तेमाद** (21 सितंबर) के अनुसार न्यूयॉर्क में तुर्किये के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगन और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच मुलाकात हुई। राजनीतिक क्षेत्रों में इस मुलाकात को बेहद महत्त्वपूर्ण बताया गया है। इजरायली प्रधानमंत्री के कार्यालय से जारी एक बयान में यह दावा किया गया है कि दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्ष शीघ्र ही एक दूसरे के देश का सरकारी दौरा करेंगे। इजरायली अखबारों के अनुसार रजब तैयब एर्दोगन इजरायल दौरे के दौरान मस्जिद अल-अक्सा का दौरा भी करेंगे।

गौरतलब है कि 2010 में इजरायल और तुर्किये के संबंधों में उस समय जबर्दस्त तनाव पैदा हो गया था, जब गाजा की इजरायली नाकाबंदी के दौरान तुर्किये ने हमास के विद्रोहियों की सहायता के लिए एक जलयान भेजा था। इस जलयान पर इजरायली सेना ने हमला करके उसे डुबो दिया था और इसमें सवार तुर्किये के नौ सैनिक मारे गए थे। संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि इजरायल की यह कार्रवाई अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुसार जायज थी, क्योंकि तुर्किये का जहाज अवैध रूप से इजरायल की सीमा के अंदर दाखिल हुआ था। मगर इस संबंध में इजरायल ने जो ताकत का इस्तेमाल किया वह सही नहीं था। इस घटना के बाद तुर्किये ने इजरायल के साथ संबंध विच्छेद कर लिए थे और इजरायल के राजदूत को अपने देश से निष्कासित कर दिया था।

2016 में दोनों देशों ने राजनयिक संबंध स्थापित करने का प्रयास किया था। मगर इसी दौरान गाजा में इजरायली सेना ने 60 फिलिस्तीनियों की हत्या कर दी। ये फिलिस्तीनी यरुशलम में अमेरिकी दूतावास खोलने के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। इजरायल ने तुर्किये पर यह भी आरोप लगाया था कि वह आतंकी संगठन हमास को सहायता देता है। दोनों देशों के बीच संबंधों में पिछले साल तब कुछ सुधार हुआ था, जब इजरायल के राष्ट्रपति ने तुर्किये का दौरा किया था। इसके बाद दोनों देशों के विदेश मंत्रियों ने भी एक दूसरे के देश का दौरा किया था। मगर बाद में इजरायल ने यह आरोप लगाया था कि तुर्किये इजरायल में सक्रिय इस्लामी आतंकियों को सहायता देता है। इसके बाद दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंध स्थापित होने का मामला खटाई में पड़ गया था। हाल ही में तुर्किये के राष्ट्रपति और इजरायल के प्रधानमंत्री के बीच मुलाकात से इस बात की संभावना बढ़ गई है कि दोनों देशों के बीच फिर से राजनयिक संबंध स्थापित हो सकते हैं। तुर्किये के राष्ट्रपति के मीडिया सलाहकार ने संवाददाताओं को बताया कि तुर्किये और इजरायल ऊर्जा, नई तकनीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर सुरक्षा आदि के मामले में एक दूसरे देश का सहयोग कर सकते हैं। इजरायल ने इस बात की पेशकश की है कि वह गैस की खोज के मामले में तुर्किये को सहयोग देगा। इन दोनों देशों के नेताओं की मुलाकात उस समय हुई है जब सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के साथ इजरायल के संबंध सुधर रहे हैं।

RNI No. DELHIN/2017/72722

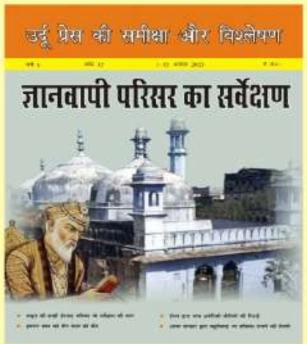

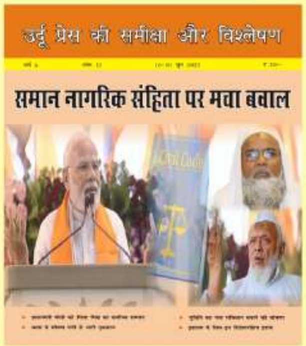


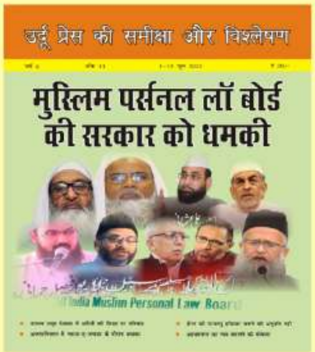

भारत नीति प्रतिष्ठान
**India Policy Foundation**
डी–51, प्रथम तल, हौजखास, नई दिल्ली–110016
दूरभाष : 011–26524018
ईमेल : info@ipf.org.in, indiapolicy@gmail.com
वेबसाइट : www.ipf.org.in